


न्यायालय  
श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट  
रीवा (म0प्र0)

281



Rs.301-

- 1— परमेश्वरदीन तनय राममनोहर शुक्ला
- 2— लक्ष्मी प्रसाद तनय कौशल प्रसाद शुक्ला
- 3— गिरीश कुमार तनय कौशल प्रसाद शुक्ला
- 4— श्रीमती शकुन्तला विधवा पल्नी श्री कौशल प्रसाद शुक्ला

सभी निवासी ग्राम खेरा, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म0प्र0)

आवेदक / निगराकारण

बनाम

गोविंद प्रसाद शुक्ला तनय रामरूप, निवासी ग्राम खेरा, तहसील

रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म0प्र0)

आवेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुविभागीय

अधिकारी रामपुर नैकिन, जिला सीधी

दिनांक 24/01/17 वावत् प्र0क0-

385/अपील/15-16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू

राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

- 1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।
- 2— यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन पर सुनवाई हेतु नियत तारीख 06/01/17 पर अनावेदक को रिश्तेदारी व अनुचित लाभ पूर्ण ना हो पाने के चलते तारीख 06/01/17 की पेशी बढ़ाकर

MJ

JK

(२४)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रावालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

जिला—सीधी

प्रकरण क्रमांक R-5061-II / 17

परमेश्वरदीन वगैरः / गोविन्द प्रसाद शुक्ला

(1)

(2)

/ 8.12.18-

1. आवेदक की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र रत्नमाला अधिवक्ता  
द्वारा यह निगरानी अनुबिभागीय अधिकारी, तहसील रामपुर नैकान,  
जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 385/अप्रैल/2015-16 में  
पारित आदेश दिनांक 24.01.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी।  
म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन  
के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपरि  
संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर,  
जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष  
दिनांक 16.02.19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु  
उपस्थित हो।

सदस्य

(W)

(Signature)